



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप - "अ")

GE 805198

Serial no. 590

Date 29-08-2023

निन्द राय एवं सजय कुमार राय कमश अध्यक्ष एवं सचिव श्री रुद्र शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर शपथपूर्वक निम्नवत् वयान करते हैं-

1 यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा श्री रुद्र शिव एस एन एस के इस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन 67, मौजा भगीरथपुर, देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2 यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम मौजा भगीरथपुर में गाटा सख्या 67 रकबा 0.8090 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8090 हेक्टेयर) भूमि है।

3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4 यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सख्या 67 रकबा 0.8090 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8090 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 25/06/2021द्वारा पारित किया गया है।

5 यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनिर्माित नक्शे के अनुसार किया गया है।



Handwritten signature in blue ink.

नं० ५३६  
 दिनांक १३-२-२०२३  
 कलेक्टर  
 जिला कचहरी  
 गाजीपुर

सचिव श्री सु.प. वैशिक एवं सामाजिक विकास इकाई  
 इलाहाबाद (मी.)

ब्रह्मदेव तिवारी स्थाय विक्रेता  
 ला० नं०-३४  
 कलेक्टर कचहरी, गाजीपुर  
 ना० की अवधि ३१ मार्च २०२५

सु.प. वैशिक विकास

6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8 यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पदान किया जायेगा।

9 यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।


10 यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11 यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12 यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का अतीति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13 मैं घोषणा करता/करती हू कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटचिंत अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून सगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की

विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



हो. अध्यक्ष  
अध्यक्ष  
श्री स्व. शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्रालय  
दिल्ली/गाजीपुर

हो. सचिव

